10.10.20

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा स्थित भूमि खाता सं0 105,231 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **राधाकिशन** दर्ज रिकार्ड है जो गलत है जबकि इनका वास्तविक नाम **देवेन्द्र कुमार** है। दौराने रिकार्ड संधारण राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवश देवेन्द्र कुमार के स्थान पर राधाकिशन दर्ज कर दी जिस कारण वादी को भारी हकतल्फी है। अतः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राधाकिशन के स्थान पर देवेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे। वादी ने वादपत्र के साथ वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि की प्रतियां प्रस्तुत की जिनमें वादी का नाम देवेन्द्र कुमार अंकित है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के तथा गवाहान पिंटु पुत्र मूलचंद, बाबूलाल पुत्र मूलचंद जाति माली निवासी छावनी नीमकाथाना के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम राधाकिशन गलत दर्ज है जबकि वादी का सही नाम देवेन्द्र कुमार है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विद्युत बिल आदि की प्रतियों से होती है। वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा स्थित भूमि खाता सं0 105,231 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का का नाम राधाकिशन के स्थान पर देवेन्द्र कुमार दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्राावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।